न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

24 / 2023

श्री मोती लाल मीणा पुत्र स्व. श्री हरिबक्ष जाति मीणा निवासी 8 बी, 22 क्वार्टर सिविल लाईन जिला टोंक राज0
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 09.10.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 319—20 दिनाक 28.06.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंकको अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

प्रार्थी ने कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक के लैण्ड रिकॉर्ड टोंक से नामान्तकरण सं0 145 दिनांक 03.02.1960, नामान्तकरण सं० 150 दिनांक 03.02.1960 व नामान्तकरण सं0 176 दिनांक 16.05.1962, नकल आदेश द्वारा कमिशनर जयपुर क्रमांक 648 व 655 दिनांक 03.02.1960 व जमाबंदी सम्वत 2010 से 2041 ख0न0 432 साबिक हाल नम्बर 393 स्थित ग्राम लहन तहसील टोंक की प्रमाणित नकल दिलवाने के आदेश प्रदान करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 650—51 दिनांक 13.07. 2023 व 739 दिनांक 01.08.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक रिकार्ड/2023/14 दिनांक 25.07.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमाक 15—16 दिनांक 25.07.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक भू.अ.6/एफ(1)/रिकार्ड// 2020/4313 दिनांक 31.07.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र

जिला कलेक्टर
टोंक

कमांक 4202–03 दिनांक 20.07.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया की चाही गई सूचना का संबंध तहसील कार्यालय टोंक से होने के कारण कार्यालय हाजा के पत्रांक 4201 दिनांक 20.07.2023 द्वारा तहसीलदार टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। जिसके कम मेंलोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 804 दिनांक 16.08.2023,845 दिनांक 28.08.2023, 851 दिनांक 06.09.2023 व 854 दिनांक 14.09.2023 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 10452 दिनांक 26.09.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को कार्यालय मे उपलब्ध सूचना उनके पत्र कमांक 9031 दिनांक 23.08.2023 से प्रेषित कि गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक